



श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मान. मुख्यमंत्री (मध्यप्रदेश)

विज्ञापन क्र. 179

दिनांक : 14.08.2023

योजना क्रमांक 136 में गुलमोहर काम्प्लेक्स में 141 आवासीय उपयोग के प्रकोष्ठों को भू-स्वामी अधिकार पर नियत मूल्य पर कम्प्यूटर द्वारा लाटरी पद्धति से व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) आवेदन लगातार छः माह तक आमंत्रित किये जाते हैं। प्रकोष्ठों का विवरण निम्नानुसार है-

अ.क्र.	प्रकोष्ठ	प्रकोष्ठ की संख्या	आरक्षण श्रेणी	सुपर बिल्टअप एरिया व.मी.में.	कारपेट एरिया व.मी.में.	प्रकोष्ठ की नियत मूल्य रु. लाख में	पंजीयन राशि रु. लाख में
1	1-BHK	141	आवेदन फार्म में संलग्न सूची अनुसार	61.57	36.87	14.64	2.00



ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण दिनांक

लोकेशन हेतु स्कैन करें

अ.क्र.	विवरण	पहली लॉटरी	दूसरी लॉटरी	तीसरी लॉटरी	चौथी लॉटरी	पाँचवी लॉटरी	छठी लॉटरी	समय
1	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने की आरम्भ दिनांक एवं समय	17-08-2023	20-09-2023	25-10-2023	30-11-2023	05-01-2024	09-02-2024	14:00 hrs.
2	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र कय करने एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	31-08-2023	10-10-2023	09-11-2023	18-12-2023	24-01-2024	29-02-2024	17:30 hrs.
3	ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	05-09-2023	12-10-2023	14-11-2023	20-12-2023	29-01-2024	04-03-2024	11:30 hrs
4	लॉटरी करने का दिनांक एवं समय	15-09-2023	20-10-2023	24-11-2023	29-12-2023	05-02-2024	11-03-2024	16:00 hrs

नोट :-

- लॉटरी के आवेदन प्राधिकारी की वेबसाईट <https://www.idaindore.org> पर देखे एवं भरे जा सकते हैं।
- लॉटरी में भाग लेने हेतु आवेदन प्रस्तुतकर्ता पंजीयन राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड / डेबिटकार्ड / नेट बैंकिंग / एन.ई.एफ.टी. / आर.टी.जी.एस के माध्यम से कर सकेगा।
- आवेदनकर्ता को प्रकोष्ठों के चयन ऑनलाईन करना होगा तथा आधार कार्ड, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र एवं सभी डाक्यूमेंट की प्रति स्कैनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
- लॉटरी पद्धति में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगी एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- आवेदक, आवेदन करने के पूर्व मौका निरीक्षण / प्रकोष्ठ का अवलोकन कर पूर्ण संतुष्ट होने पर ही आवेदन करे। प्रकोष्ठ का कब्जा यथास्थिति में दिया जावेगा।
- तल मंजिल पर दो पहिया वाहन पार्किंग, भूमिगत व उच्चस्तरीय पानी की टंकी, नर्मदा लाईन से जलप्रदाय की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर सुरक्षा चौकी की सुविधा।
- योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन क्रमांक P-IND-17-352 Date 07-09-2017 है।
- प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में मार्केटिंग सेल मे मो. 9893699113 पर संपर्क करें।
प्राधिकारी की वेबसाईट www.idaindore.org पर देख सकते हैं।